

उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/41/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/41/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है -

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 8- अनारक्षित
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

- 11- अनुसूचित जाति
- 12- अनारक्षित
- 13- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 14- अनारक्षित
- 15- अनुसूचित जाति
- 16- अनारक्षित
- 17- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 18- अनारक्षित
- 19- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 21- अनुसूचित जाति
- 22- अनारक्षित
- 23- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 24- अनारक्षित
- 25- अनुसूचित जाति
- 26- अनारक्षित
- 27- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 28- अनारक्षित
- 29- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 31- अनुसूचित जाति
- 32- अनारक्षित
- 33- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 34- अनारक्षित
- 35- अनुसूचित जाति
- 36- अनारक्षित
- 37- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 38- अनारक्षित
- 39- अन्य पिछड़ा वर्ग

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  
 41- अनुसूचित जाति  
 42- अनारक्षित  
 43- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 44- अनारक्षित  
 45- अनुसूचित जाति  
 46- अनारक्षित  
 47- अनुसूचित जनजाति  
 48- अनारक्षित  
 49- अनुसूचित जाति  
 50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  
 51- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 52- अनारक्षित  
 53- अनुसूचित जाति  
 54- अनारक्षित  
 55- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 56- अनारक्षित  
 57- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 58- अनारक्षित  
 59- अनुसूचित जाति  
 60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  
 61- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 62- अनारक्षित  
 63- अनुसूचित जाति  
 64- अनारक्षित  
 65- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 66- अनारक्षित  
 67- अन्य पिछड़ा वर्ग  
 68- अनारक्षित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 69- अनुसूचित जाति
- 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 71- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 72- अनारक्षित
- 73- अनुसूचित जाति
- 74- अनारक्षित
- 75- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 76- अनारक्षित
- 77- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 78- अनारक्षित
- 79- अनुसूचित जाति
- 80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 81- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 82- अनारक्षित
- 83- अनुसूचित जाति
- 84- अनारक्षित
- 85- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 86- अनारक्षित
- 87- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 88- अनारक्षित
- 89- अनुसूचित जाति
- 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 91- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 92- अनारक्षित
- 93- अनुसूचित जाति
- 94- अनारक्षित
- 95- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 96- अनारक्षित
- 97- अनुसूचित जनजाति

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 98- अनारक्षित  
99- अनुसूचित जाति  
100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)41/2002 का-2/2019 टी.सी.1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 10) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

138

उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-6/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-I

लखनऊ, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-जाप

भारत सरकार द्वारा संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उक्त के अनुक्रम में समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक 22.01.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-जाप दिनांक 17.01.2019, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-जाप संख्या-12-4/2019 दिनांक 17.01.2019 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जाप संख्या-36039/1/2019-&Estt.(Res.), दिनांक 19.01.2019 में निर्धारित व्यवस्था मानक के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/4/1/2002/ का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्था मानक निर्धारित किया गया है।

4. भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-जाप संख्या-36039/1/2019-&Estt.(Res.), दिनांक 31.01.2019 के प्रस्तर-6.3 में निम्न व्यवस्था है:-

Where in any recruitment year any vacancy earmarked for EWS cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय-जाप दिनांक 31.01.2019 के प्रस्तर-6.3 में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के संदर्भित कार्यालय-जाप दिनांक 18.02.2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं और पदों पर निम्न व्यवस्था को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

“यदि किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जायेगा और उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। ”

मुकुल सिंहल  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2019(1)/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
13. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आजा से,  
अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।